कच्चे माल की आपूर्ति योजना

अनुक्रमणिका

क्र.म.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	पात्र लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसियां	5-6
2.	योजना की विशेषताएं	6-8
3.	आरएमएसएस के घटकों का विवरण	8-11
4.	यार्न पासबुक	11-12
5.	यार्न खरीद प्रणाली	12
6.	आपूर्ति तंत्र	12-13
7.	अनुलग्नक 1 से 8	16-23

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

लघुरूप	फुल फार्म
वाईएसएस	यार्न आपूर्ति योजना
आरएमएसएस	कच्चा माल आपूर्ति योजना
आईए	कार्यान्वयन एजेंसी
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
एनएचडीसी	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम
ईआरपी	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
डब्ल्यूएससी	बुनकर सेवा केंद्र
पीओ	खरीद आदेश
डीसी (एचएल)	विकास आयुक्त (हथकरघा)
एनईआर	उत्तर पूर्वी क्षेत्र
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
सीआईएफ	लागत, बीमा, माल ढुलाई
एलआर/जीआर	लॉरी रसीद/माल रसीद
आरटीजीएस/एनईएफटी	रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
एनटीसी	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन
एमडी	प्रबंध निदेशक
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
ओ/ओ डीसी (एचएल)	कार्यालय विकास आयुक्त (हथकरघा)
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
राज्य निदेशक हथकरघा	राज्य आयुक्त/हथकरघा और वस्त्र प्रभारी निदेशक
राज्य निदेशालय	राज्य आयुक्त/हथकरघा और वस्त्र निदेशालय प्रभारी

कच्चे माल की आपूर्ति योजना
(आरएमएसएस)
के
दिशा-निर्देश
(2021-22 से 2025-26)

विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय,

वस्त्र मंत्रालय,

उद्योग भवन,

नई दिल्ली

संख्या 7/2/2020-डीसीएच/योजना दिशानिर्देश
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय
कच्चे माल की आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

परिचय

यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को आंशिक संशोधन के साथ और कच्चे माल की आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के रूप में नामित किया गया है, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य और घटकों के साथ अनुमोदित किया गया है।

योजना के उद्देश्य

1. पात्र हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न और उनके सम्मिश्रण उपलब्ध कराना।
2. खुले बाजार में यार्न की मानक कीमत और गुणवत्ता निर्धारित करना ताकि कीमत उचित सीमा के भीतर बनी रहे; बाजार में लगातार आपूर्ति और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सके।
3. क्षेत्र में खराब रंगाई सुविधाओं को दूर करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा रंगे हुए यार्न की आपूर्ति, उत्पाद विविधीकरण में बुनकर की मदद करना, और इस प्रकार उत्पाद की मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाना।
4. मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने के लिए इस क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना क्योंकि पावरलूम की तुलना में हथकरघा उत्पादकता कम है।

3. पृष्ठभूमि

हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है, जिससे 35 लाख से अधिक लोगों जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र, 25 लाख से अधिक महिला बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को खुद से जोड़ता है, जो इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है।
यह महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है और उनकी सशक्तिकरण का एक स्रोत है। हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध और सबसे जीवंत पहलुओं में से एक है। इस क्षेत्र में कम पूंजी प्रधानता/निवेश, बिजली का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण अनुकूलता और छोटे उत्पादन का लचीलापन, नवाचार के लिए खुलापन और बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ है।

हथकरघा बुनाई काफी हद तक विकेंद्रीकृत है और बुनकर मुख्य रूप से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों से आते हैं। हथकरघा कपड़ों में हासिल कलात्मकता और जटिलता का स्तर बेजोड़ है एवं कुछ बुनाई डिजाइन अभी भी आधुनिक मशीनों की सीमा से बाहर हैं। हथकरघा क्षेत्र, उन उत्तम कपड़ों, जिसे बुनने में महीनों लगते हैं, से लेकर दैनिक प्रयोग हेतु बड़े पैमाने पर उत्पादन की जाने वाली लोकप्रिय वस्तुओं तक, प्रत्येक जरूरत को पूरा कर सकता है।

यार्न हथकरघा क्षेत्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल है जिसका उत्पादन कताई मिलों द्वारा किया जाता है। यार्न के व्यापार पर व्यापारियों का नियंत्रण था और अधिकांश हथकरघा बुनकर अपनी यार्न की आवश्यकता के लिए व्यापारियों पर निर्भर थे। इसके परिणामस्वरूप यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई और उपलब्धता में कमी आई है।

किसी स्थान विशेष में निर्मित यार्न, उस स्थान पर और उसके आस-पास उपलब्ध रेशे पर आधारित होता है, जबकि किसी विशेष क्षेत्र में बुनकरों द्वारा उपभोग किया जाने वाला यार्न उस क्षेत्र में प्रचलित खपत पैटर्न पर आधारित होता है। इसलिए ज्यादातर मामलों में बुनकरों को अन्य क्षेत्रों में उत्पादन किये जाने वाले यार्न पर निर्भर रहना पड़ता है। यार्न को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से यार्न की लागत काफी बढ़ जाती है, जो बुनकरों को काफी हानि की स्थिति में पहुंचा देता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 1992 में मिल गेट पर दिए जाने वाली कीमत पर यार्न की आपूर्ति के लिए योजना आरम्भ की थी। इस योजना के तहत, यार्न की आपूर्ति में शामिल परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, जनवरी 2012 में रेशम और कॉटन हैंक यार्न पर मूल्य सब्सिडी शुरू की गई थी।

4. आरएमएसएस की घटक

4.1 परिवहन सब्सिडी घटक: यार्न (सभी प्रकार) के परिवहन पर भाड़ा प्रतिपूर्ति।
4.2 मूल्य सब्सिडी घटक: मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी (डीबीटी के माध्यम से जुड़े हुए बैंक खातों में) मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ कॉटन हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊनी एवं लिनन धागों एवं प्राकृतिक रेशों के मिश्रित धागों पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध होगी।

5. पात्र लाभार्थी:

यह लाभ निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होंगे:

1. व्यक्तिगत बुनकर।
2. एजेंसियां, जिनमें बुनकर सदस्य हैं, अर्थात स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और सहकारी समितियां।
3. हथकरघा निर्माता कंपनी।
4. बुनकर उद्यमी (आन्ट्रप्रेन्योर): वह उद्यमी पात्र बुनकर उद्यमी होगा, जो मार्केटिंग और अन्य गतिविधियों के साथ-साथ वास्तव में बुनाई गतिविधि में शामिल हैं, एवं उनके परिसर में अपना निजी हथकरघा उपलब्ध है। कच्चे माल की सब्सिडी घटक उद्देश्य हेतु बुनकर उद्यमी के परिसर में उसके स्वमित्व वाले एवं कार्यात्मक हथकरघों की संख्या की गणना की जाएगी।

6. कार्यान्वयन एजेंसियां

I. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)।
II. हथकरघा एवं वस्त्र आयुक्त/निदेशक के माध्यम से राज्य सरकारें।
III. राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण पर्यवेक्षण के अधीन राज्य हथकरघा निगम और शीर्ष समितियां।

राज्य, पात्र लाभार्थियों को हथकरघा से संबंधित विभाग/सहकारिता निगमों के माध्यम से यार्न की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसे मामलों में, वे इन दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

आई.ए. बनने हेतु, राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुसंशित, राज्य सरकार की एजेंसियों (सामान्य रूप से, एक राज्य एजेंसी, बढ़िया वित्तीय स्थिति, ई-धागा ऐप और डीबीटी तंत्र प्रक्रियाओं के साथ संगत मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे और ईआरपी, हथकरघा क्षेत्र में प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड) के प्रस्ताव को वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

7.योजना की विशेषताएं:

7.1 **ईको-सिस्टम के विकास के लिए केन्द्रित क्षेत्र हैं:**

I. वैयक्तिक बुनकर वाले क्षेत्र, जो किसी औपचारिक संगठन के दायरे से बाहर हैं।
II. निर्यात क्षमता/बाजार क्षमता वाले हथकरघा क्लस्टर।
III. हथकरघा पॉकेट को लुप्त/प्रचलन से बाहर हो रहे शिल्प के पुनरुत्थान की आवश्यकता।
IV. उत्तर पूर्व जैसे व्यावसायीकरण से अछूते क्षेत्र।

निम्नलिखित उपायों द्वारा व्यक्तिगत बुनकरों के लाभ को सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा :

I. कम मात्रा के लिए, बिना मांगपत्र के तत्काल माल की सुपुर्दगी।
II. गोदामों और यार्न डिपो में काउंटर रेडी यार्न की उपलब्धता।
III. एनएचडीसी/आईए और डब्ल्यूएससी द्वारा अधिक संख्या में एकल बुनकरों को नामांकित करने के लिए नियमित जागरूकता शिविर।
IV. आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से मूल्य सब्सिडी।

7.2 एनएचडीसी/आईए के पास आधार संख्या, आधार से जुड़ा बैंक खाता, हथकरघा उत्पादक कंपनी के प्रत्येक हथकरघा बुनकर/सदस्य बुनकरों के मोबाइल नंबर, बुनकर उद्यमियों, सहकारी समितियों, एसएचजी और जेएलजी के साथ-साथ डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकीय) विवरण उपलब्ध होने चाहिए।

लाभार्थियों का पंजीकरण (लाइव डेटा बेस) सेक्टरवार और क्षेत्रवार दोनों तरह से किया जाना चाहिए।

योजना के तहत लाभार्थियों के डेटाबेस अर्थात मौजूदा कार्यरत हथकरघा, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि का अद्यतन एनएचडीसी/आईए द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाएगा।
सदस्य बुनकरों के किसी भी विवरण में परिवर्तन के मामले (अर्थात स्थान परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, सदस्यों का जोड़ना, मृत्यु आदि) में, पात्र एजेंसी/डिपो धारक एजेंसी को, तदनुसार, ईआरपी में (जोड़ना/मृत्यु) परिवर्तन के लिए अनुरोध करते हुए एनएचडीसी/आईए को सूचित करना चाहिए।

7.3 समिति द्वारा लाभार्थियों का शुरू से सत्यापन: राज्य के हथकरघा निदेशालय, डब्ल्यूएससी और एनएचडीसी के अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक पात्र एजेंसी के हथकरघों की संख्या का शुरू से सत्यापन किया जाएगा।

7.4 एक समिति द्वारा, जिसमें वस्त्र आयुक्त कार्यालय, डब्ल्यूएससी और एनएचडीसी के अधिकारी शामिल होंगे, द्वारा यार्न निर्माताओं का आरम्भ से सत्यापन किया जाएगा जिसके माध्यम से आई ए यार्न की खरीद कर सकता है।

7.5 एनएचडीसी इस योजना की नोडल एजेंसी होगी।

7.6 योजना के तहत बुनियादी ढांचे के लिए कोई पूंजीगत लागत प्रदान नहीं की जानी है।

7.7 आई.ए. यह सुनिश्चित करेगा कि विभाग/सहकारिता निगम/हथकरघा उत्पादक कंपनी/बुनकर उद्यमियों/एसएचजी/जेएलजी को आपूर्ति किया गया यार्न अंततः सदस्य बुनकरों तक पहुंच रहा है।

7.8 आई.ए. द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/ डैशबोर्ड बनाया जाना है, जिससे खरीद प्रक्रिया की जानकारी और निगरानी, स्टॉक की स्थिति और नियंत्रण, भुगतान का रिकॉर्ड रखना जैसे अग्रिम में प्राप्त राशि और देय राशि, भुगतान की जांच एवं सब्सिडी के वितरण को भी सम्मिलित किया जायेगा।

आई.ए की ईआरपी प्रणाली में दिए गये मांगपत्र, जारी किए गए पी.ओ., मिल, ट्रांसपोर्टर और वाहन विवरण, सामग्री की रियल टाइम मूवमेंट, बुनकरों को सब्सिडी का भुगतान, सभी हितधारकों द्वारा रियल टाइम बेसिस पर प्रकारवार और गिनतीवार आपूर्ति किए गए यार्न आदि जैसे विवरणों जांचने की सुविधा होनी चाहिए।

7.9 आईए द्वारा जनगणना के आधार पर राज्य में करघों की संख्या के आधार पर यार्न की आपूर्ति के लिए राज्यवार वार्षिक लक्ष्य, डीसी (एचएल) को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे बाद में अनुमोदन के लिए डीसी (एचएल) भेजा जाएगा। आई.ए. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा और एक उचित कार्य योजना तैयार करेगा । राज्यवार लक्ष्यों में, अलग-अलग बुनकरों को यार्न की आपूर्ति का लक्ष्य, डब्ल्यूएससी/हथकरघा क्लस्टर वार सौंपे जाएंगे।

7.10 इसके अलावा, योजना के तहत, प्राकृतिक फाइबर का समावेश/बाहर किया जाना, लाभार्थियों के प्रकार, यार्न कोटा संशोधन, एनएचडीसी और अन्य आईए के सेवा शुल्क संशोधन, डिपो परिचालन व्यय, स्कीम आपरेशनल मकेनिज्म आदि वस्त्र मंत्री के अनुमोदन के साथ ईएफसी की कुल लागत के भीतर किया जाएगा।

7.11 यार्न की नियमित और समय पर आपूर्ति की सुविधा के लिए हथकरघा केंद्रित क्षेत्रों में यार्न डिपो खोले जाएंगे। सबसे पहले, प्रत्येक स्वीकृत हथकरघा क्लस्टर में कम से कम एक यार्न डिपो होना चाहिए। धीरे-धीरे हथकरघा से संबंधित कार्य करने वाले सभी हथकरघा पॉकेट, सहकारी समितियां, हथकरघा उत्पादक कंपनी, राज्य सरकार के विभाग/सहकारी समितियां/हथकरघा से संबंधित निगम में यार्न डिपो खोले जाएंगे। डिपो परिचालन व्यय, पात्र एजेंसियों को आपूर्ति किए गए सूत के मूल्य का 2% (प्रति माह 15,000/- रु. तक सीमित) की दर से होगा।

7.12 आपूर्ति अवधि को कम करने और कम मात्रा में यार्न की आपूर्ति करने के लिए, एनएचडीसी/आईए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित मात्रा में यार्न को स्टोर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर और अधिक गोदाम खोलेगा। एनएचडीसी को

प्रत्येक राज्य में बुनकरों की उपस्थिति वाले क्षेत्र में कम से कम एक गोदाम खोलना चाहिए। गोदाम सबसे घनी आबादी वाले क्लस्टर या पॉकेट में या उसके पास स्थित होना चाहिए। एनएचडीसी/आईए को, गोदाम से अलग-अलग बुनकरों को सीधे आपूर्ति किए गए सूत के मूल्य का 1.0% (एक प्रतिशत) की दर से डिपो संचालन शुल्क दिया जाएगा (प्रति माह 15000 रुपये तक सीमित)।

7.13 प्रत्येक यार्न डिपो पर, विभिन्न प्रकार और किस्मों के यार्न की उपलब्धता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ईआरपी और ई-धागा ऐप पर डैशबोर्ड के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

7.14 योजना के कार्यान्वयन के लिए आई.ए. को दिए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार होंगे:

(आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %)

क्षेत्र	लागू सेवा शुल्क
सामान्य राज्यों में	2 %
पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में*	2.50 %

*उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य (8 नं.) और पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश, लददाख के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उतराखंड).

आरएमएसएस के घटकों का विवरण:

8.1. परिवहन सब्सिडी घटक:

8.1.1 इस घटक का उद्देश्य हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाभार्थियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न उपलब्ध कराना है, ताकि हथकरघा क्षेत्र को बुनियादी कच्चे माल की नियमित आपूर्ति की सुविधा हो और क्षेत्र की पूर्ण रोजगार क्षमता का उपयोग करने में मदद मिल सके।

मिल गेट मूल्य का अर्थ है वह मूल्य जिस पर, भारतीय रेशम यार्न के मामले में रेशम एक्सचेंज के पंजीकृत लाइसेंस धारकों, डीजीएफटी पंजीकृत आयातकों के लिए एक्स-वेयर हाउस मूल्य और आयातित सिल्क के मामले में एनएचडीसी द्वारा आयात के लिए भारतीय बंदरगाहों पर उतरने के बाद का मूल्य (सीआईएफ और किसी भी अन्य लागू शुल्क सहित), रेशमी सूत के निर्माण/आपूर्ति में लगे राज्य निकाय, संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभाग के साथ पंजीकृत रीलर/ट्विस्टर घरेलू रेशम/कॉयर/जूट यार्न और पश्मीना फाइबर के निर्माता, रंगे/प्रोसेस्ड यार्न के मामले में प्रोसेसर/डाई हाउस और कॉटन हैंक यार्न के मामले में हैंक यार्न पैकिंग दायित्व के तहत आने वाली कताई मिलें से यार्न की खरीद की जाती है।

8.1.2 जैसा कि परिवहन लागत भारत सरकार वहन कर रही है, परिवहन दरें आई.ए. द्वारा कोडल प्रावधानों का पालन करते हुए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से निर्धारित की जाएंगी।

8.1.3 धीरे-धीरे, केवल ऑनलाइन ट्रैकिंग सक्षम ट्रांसपोर्टरों/बैंक अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों को यार्न के परिवहन के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इसे ई-धागा ऐप के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि लाभार्थियों को उनके द्वारा दिए गये मांगपत्र के अनुसार यार्न ढोने वाले वाहन के सटीक स्थान का पता लगाया जा सके| ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में नियमित अंतराल पर वाहन की स्थिति दर्ज करने की सुविधा होनी चाहिए। माल रसीद नोट (जीआरएन) प्रणाली मजबूत होनी चाहिए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वास्तविक उपयोगकर्ता को रियायती माल प्राप्त हुआ है।

8.1.4 भाड़ा प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित शुल्क प्रदान किए जाएंगे:

आपूर्ति किए गए यार्न के मूल्य का %

यार्न का प्रकार	पात्र एजेंसियों को अधिकतम भाड़ा प्रतिपूर्ति	
	सामान्य राज्यों में	पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में*
सिल्क यार्न	1.0 %	2.25 %

जूट/कॉयर यार्न	10 %	10.0 %
सिल्क और जूट के अतिरिक्त	2.5 %	7.5%

*उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य (8 नं.) और पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश लददाख के केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश और उतराखंड)

8.1.5 आई ए को एक खरीद और परिवहन योजना बहुत पहले से तैयार करनी लेनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित निकटतम मिलों से बिना किसी रुकावट के आपूर्ति की जा सके।

8.1.6 परिवहन लागत के आसान लेखा की सुविधा के लिए, आई.ए. "टू पे" आधार पर माल भेजेगा और डिपो संचालन एजेंसियों द्वारा भुगतान की गई राशि को एलआर/जी आर आदि के साथ संलग्न दावा बिल प्रस्तुत करने पर आई.ए. द्वारा पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। परिवहन की वास्तविक लागत या पैराग्राफ 8.1.4 के तहत स्वीकार्य भाड़ा, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा आई.ए. को द्विमासिक आधार पर की जाएगी। उपयोगकर्ता एजेंसियों को परिवहन शुल्क का भुगतान आई.ए. द्वारा 10 दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा।

8.2 15% कच्चे माल पर मूल्य सब्सिडी:

8.2.1 योजना के इस घटक का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को रियायती मूल्य पर कच्चा माल यानी यार्न (धागा) उपलब्ध कराना है ताकि हथकरघा क्षेत्र को मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सुविधा हो सके।

8.2.2 हथकरघा वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी, लिनन यार्न और उनके मिश्रण को 15% मूल्य सब्सिडी के अंतर्गत कवर किया गया है।

8.2.3 मूल्य सब्सिडी के उद्देश्य हेतु एक बुनकर को आपूर्ति किए जाने वाले यार्न की अधिकतम मात्रा निम्नानुसार होगी:

कॉटन (20 काउंट्स तक)	60 किग्रा/लूम/माह
कॉटन (20 से 40 काउंट्स तक)	30 किग्रा/लूम/माह
कॉटन (40 से 80 काउंट्स तक)	20 किग्रा/लूम/माह
कॉटन (80 से अधिक काउंट्स के लिए)	15 किग्रा/लूम/माह
घरेलू सिल्क यार्न	6 किग्रा/लूम/माह
वुलन यार्न (10 से कम एनएम के लिए)	50 किग्रा/लूम/माह
वुलन यार्न (10 से 39.99 एनएम के लिए)	12 किग्रा/लूम/माह
वुलन यार्न (40 एनएम और अधिक)	6 किग्रा/लूम/माह
लिनन यार्न (5 लीअ से 10 लीअ)	20 किग्रा/लूम/माह
लिनन यार्न 10 लीअ से अधिक	7 किग्रा/लूम/माह
प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न	6 किग्रा/लूम/माह

8.2.4 यदि, बुनकर को प्रति पैरा 8.2.3 में दी गई मात्रा से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसे अतिरिक्त आवश्यकता की लिए मना नहीं किया जाएगा। हालांकि, अतिरिक्त मात्रा के लिए 15% सब्सिडी नहीं दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि बुनकर को अतिरिक्त यार्न मिल गेट मूल्य पर दिया जायेगा।

8.2.5 सब्सिडी वाले यार्न की आपूर्ति, एकल बुनकर या उस निकाय को की जाएगी, जिसमें वह सदस्य है (सोसाइटी/ निर्माता कंपनी/राज्य हथकरघा निगम/हथकरघा संबंधित काम करने वाली सहकारी समितियां) लेकिन दोनों को नहीं। यार्न पासबुक और ईआरपी सिस्टम में विशेष लूम नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। आईए के ईआरपी में एक इन-बिल्ट सिस्टम होना चाहिए जो एक से अधिक यार्न पासबुक में यूनिक लूम नंबर को कैप्चर करे और अस्वीकार कर दे, जब तक दोनों में सुधार न कर लिया जाये। इसके अलावा, एनएचडीसी/आईए ईआरपी सिस्टम, आधार/वीवर आईडी/यूनीक लूम नंबर के माध्यम से बुनकर की पहचान करे और यह सुनिश्चित करे कि बुनकर सब्सिडी वाले यार्न प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों में किसी एक में ही नामांकित हो।

8.2.6 अलग-अलग बुनकर को उनकी आवश्यकता के आधार पर यार्न का प्रकार मिलेगा, जो प्रति माह कुल कोटा प्रति लूम के अधीन होगा। वह एक या एक से अधिक प्रकार के यार्न को मांग सकता/सकती है। यदि वह अधिक प्रकार के यार्न का विकल्प चुनता

है, तो उसकी पात्रता का निर्धारण उसके द्वारा प्रत्येक प्रकार के यार्न के लिए लिए उनके उपयोग प्रतिशत और पैरा 8.2.3 में दर्शाई गई अधिकतम मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

(उदाहरण: एक बुनकर जो किसी विशेष महीने में 40% सूती हैंक यार्न (20 काउंट्स तक) और 60% रेशम के यार्न की इच्छा रखता है, उसे, उस महीने में 24 किलोग्राम सूती हैंक यार्न (20 काउंट्स तक) (अर्थात 60 किग्रा *0.4) और 3.6 किग्रा रेशम का यार्न (अर्थात 6 किग्रा *0.6), मिलेगा।

8.2.7 यार्न पासबुक जारी करते समय 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत आपूर्ति पाने के लिए एकल बुनकरों के अलावा एजेंसियां भिन्न करघों के लिए भिन्न प्रकार/किस्मो के यार्न के लिए कोटा आवंटन प्राप्त कर सकती हैं।

8.2.8 दुगनी मात्रा में यार्न के मामले में, पात्र-मात्रा निर्धारित करने के लिए परिणामी गणना पर विचार किया जाएगा।

8.2.9 पात्र लाभार्थियों को यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए, एनएचडीसी लिमिटेड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार की स्कीम के बी.ई. का 40 प्रतिशत कॉर्पस फंड प्रदान करेगी। अग्रिम में पिछले वर्ष की अप्रयुक्त राशि शामिल होगी। अन्य आई.ए. के मासिक मूल्य सब्सिडी दावों को एनएचडीसी को भेजा जाएगा और आगे की स्वीकृति के लिए डीसी (एचएल) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और निधि एनएचडीसी के पास उपलब्ध कॉर्पस फंड से जारी की जाएगी।

अन्य आई.ए. के मासिक मूल्य रियायत दावों को एनएचडीसी को भेजा जाएगा और आगे की स्वीकृति के लिए डीसी (एचएल) के कार्यालय में जमा किया जाएगा, और निधि एनएचडीसी के पास उपलब्ध कॉर्पस फंड से जारी की जाएगी।

8.2.10 एनएचडीसी को दी गई कॉर्पस फंड की भरपाई 70% फंड के उपयोग और प्रगति रिपोर्ट और लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। एनएचडीसी को कॉर्पस फंड की प्रतिपूर्ति को निर्धारित लक्ष्यानुसार की गई प्रगति से जोड़ा जायेगा।

9. **यार्न पासबुक:**

9.1 यार्न पासबुक, जो कि यार्न आपूर्ति के मूल दस्तावेज के रूप में है, को सभी व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को निश्चित समयबद्ध तरीके से जारी की जानी चाहिए। यार्न पासबुक में प्रत्येक हथकरघे का विशिष्ट नंबर के साथ लाभार्थी के पास उपलब्ध करघों की कुल संख्या अंकित होनी चाहिए।

9.2 राज्य के हथकरघा निदेशालय, बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) और एनएचडीसी के अधिकारियों की एक समिति द्वारा प्रत्येक पात्र लाभार्थी / एजेंसी के हथकरघा की संख्या का सत्यापन किया जाएगा। एनएचडीसी सत्यापन के 5 दिनों के अंदर यार्न पासबुक प्रदान करेगा और इसे राज्य सरकार को उनके वितरण के लिए सौंप देगा। राज्य सरकारें हथकरघा जनगणना 2019-20 के आधार पर यार्न पासबुक जारी करना सुनिश्चित करेंगी।

9.3 यदि हथकरघा जनगणना में बुनकर का नाम नहीं हैं या बाद के चरण में हथकरघा बुनाई में शामिल हुआ हैं, तो एनएचडीसी करघों का सत्यापन करेगा और संबंधित डाटा एकत्रित करके सत्यापन के 5 दिनों के भीतर बुनकर को यार्न पासबुक जारी करेगा।

9.4 सहकारी समितियों, एसएचजी और जेएलजी, हथकरघा उत्पादक कंपनी, बुनकर उधमियों का सत्यापन व डाटा संग्रहण का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार यार्न पासबुक जारी करने के लिए एनएचडीसी को डाटा भेजेंगी। एनएचडीसी राज्य सरकार से डाटा प्राप्त होने पर 05 दिनों के अंदर यार्न पासबुक जारी करेंगी।

9.5 कुछ राज्यों में, एपेक्स सोसाइटी/निगम/विभाग, प्राथमिक सहकारी समितियों/एसएचजी/जेएलजी से जुड़कर यार्न की आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसे मामलों में, एपेक्स सोसाइटी/निगम/विभाग करघों का सत्यापन करेगा और संबंधित डाटा एकत्र कर उसे एनएचडीसी / आईए को भेजेगा । एनएचडीसी डाटा प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर एपेक्स सोसायटी/निगम/विभाग को यार्न पासबुक जारी करेगा।

9.6 एपेक्स सोसायटियों / निगमों / विभाग / हथकरघा उत्पादक कंपनी / बुनकर उद्यमियों / सहकारी समितियों / एसएचजी / जेएलजी के मामले में उनके साथ काम करने वाले बुनकरों की संख्या यार्न पासबुक में दर्शाई जाएगी।

9.7 निम्नलिखित जानकारी को दर्शाने के लिए यार्न पासबुक में 10 अंक के सीरियल नंबर होंगे:

पहले दो अंक – राज्य
अगले दो अंक – जिला
शेष 6 अंक – चल रहे सीरियल नंबर

9.8 प्रत्येक व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर को मांगपत्र रखने और यार्न प्राप्त करने हेतु निकटतम यार्न डिपो के साथ टैग किया जाएगा। यार्न डिपो का नाम उसे जारी की गई यार्न पासबुक में दर्शाया जाएगा।

9.9 आपूर्ति किये गए यार्न की प्रविष्टिया यार्न पासबुक में अलग से की जानी चाहिए-
(i) केवल परिवहन रियायत (ii) मूल्य सब्सिडी पर आपूर्ति किया गया यार्न के साथ परिवहन रियायत।

10. **यार्न प्रोक्युर्मेन्ट सिस्टम:** सूती हांक यार्न की आपूर्ति के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार हांक यार्न पैकिंग दायित्व के तहत हांक यार्न का उत्पादन करने वाली मिलों से आपूर्ति ली जाएगी। अन्य प्रकार के यार्न की आपूर्ति हेतु, आई.ए. उचित परिश्रम और निम्नांकित कोडल प्रावधानों के बाद, पारदर्शी तरीके से पर्याप्त संख्या में आपूर्तिकर्ता मिलों को सूचीबद्ध करेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत यार्न की आपूर्ति पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से सुनिश्चित की जाय, आईए द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे, जिससे कार्टेलाइजेशन या एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं बने, ताकि लाभार्थियों को उचित मूल्य पर यार्न की आपूर्ति की जा सके। आई.ए. बड़ी मात्रा में यार्न खरीदेगा, इसलिए मिल गेट की कीमत आमतौर पर मिल गेट पर थोक खरीदारों द्वारा भुगतान की तुलना में कम होनी चाहिए।

आई.ए. एनटीसी पर उपलब्ध यार्न की खरीद करेगा। हथकरघा बुनकरों की आवश्यकतानुसार यार्न की आपूर्ति के लिए, वार्षिक आवश्यकता के आधार पर एनटीसी और आई.ए. के बीच एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा।

एनटीसी की किसी भी अप्रत्याशित आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में, कीमत/गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं होने पर या अन्य मिलों के यार्न के लिए हथकरघा बुनकर की पसंद के अनुसार, अन्य यार्न निर्माताओं से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार आईए द्वारा यार्न खरीदा जाएगा।

लाभार्थियों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रौद्योगिकी संचालित और प्रतिस्पर्धी तरीके से यार्न की खरीद जारी रहेगी।

11. **आपूर्ति तंत्र:**

11.1 मूल्य सब्सिडी घटक के तहत पात्र लाभार्थियों को एक बार में 3 महीने की आवश्यकता की आपूर्ति की जा सकती है। 15% अग्रिम के साथ मांगपत्र स्वीकार किए जाएंगे और शेष 85% भुगतान आपूर्ति के समय लिया जायेगा ।

11.2 आईए मांग विनिर्देशों के अनुसार एनटीसी / यार्न निर्माताओं से आपूर्ति को जोड़ेगा।

11.3 जिन बुनकरों को पिछले मांगपत्र के बदले यार्न दिया गया है, उनकी सूची सहकारी समितियों, बुनकर उद्यमियों, उत्पादक कंपनियों, एसएचजी और जेएलजी आदि द्वारा नया मांगपत्र देते समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11.4 इंडेंट को ई-धागा ऐप के माध्यम से या यार्न डिपो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय, जैसा कि यार्न पासबुक में उल्लिखित हो। मांगपत्र/खरीद आदेश के जीवन चक्र को ईआरपी प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए। थ्रेसहोल्ड समय अवधि के बाद इसे पुन: उत्पन्न करना होगा।

11.5 ई-धागा एप के माध्यम से दिया गया इंडेंट सीधे आईए को दिया जाएगा जबकि यार्न डिपो में दिया गया इंडेंट डिपो ऑपरेटिंग एजेंसी द्वारा आईए को भेजा जाएगा। यार्न डिपो इंडेंट में प्रत्येक लाभार्थी की यार्न पासबुक संख्या अंकित करेगा। 15% अग्रिम के साथ मांगपत्र स्वीकार किए जाएंगे और आपूर्ति के समय शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

11.6 क्रय आदेश और बिक्री बिल आईए द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। आईए शेष भुगतान एकत्र करने के लिए यार्न डिपो को बिक्री बिल प्रदान करेगा।

11.7 लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्राप्त यार्न का उपयोग अपने स्वयं के हथकरघा पर कपड़े के उत्पादन के लिए करना होगा ।

11.8 विभाग / निगम / शीर्ष सोसायटियां / सहकारी समितियां / हथकरघा उत्पादक कंपनी / बुनकर उद्यमी / एसएचजी / जेएलजी को योजना के तहत सीधे तौर पर नामांकित अपनी सदस्य सोसाइटियों / बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर उन्हें योजना का पूरा लाभ देना होगा।

बुनकर उद्यमी, एसएचजी और जेएलजी केवल अपनी आवश्यकता/उपभोग के लिए मांगपत्र दे सकते हैं, जो केवल उनके परिसर में स्वामित्व वाले सदस्य बुनकरों और हथकरघा की संख्या के आधार पर आवंटित कोटा पर आधारित होगा।

11.9 प्रत्येक लाभार्थी आईए को इस आशय का एक अंडरटेकिंग अनुलग्नक -1 / अनुलग्नक -2 में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा, जो लागू हो।

12. **15% मूल्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति:**

12.1 जब यार्न डिपो / आईए गोदाम में यार्न आसानी से उपलब्ध हो: लाभार्थी को पूरे भुगतान पर यार्न दिया जायेगा और आईए द्वारा 15% मूल्य सब्सिडी 48 घंटों के भीतर लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
12.2 जब यार्न डिपो / आईए गोदाम में यार्न आसानी से उपलब्ध नहीं है: लाभार्थी 15% अग्रिम भुगतान के साथ डिपो ऑपरेटिंग एजेंसी को यार्न की आवश्यकता रखेगा जो बदले में 15% अग्रिम भुगतान के साथ आईए को मांगपत्र देगा। माल की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर 15% मूल्य सब्सिडी राशि आईए द्वारा लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

13**. गुणवत्ता आश्वासन:**

13.1 यार्न के बंडलों पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यार्न विनिर्देशों (प्रकार, संख्या, वजन आदि) अंकित किया जाएगा। प्रेषण पूर्व मिल स्थल पर आई.ए. द्वारा यार्न मात्रा के कम से कम 10% का रेंडम आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।

13.2 विकास आयुक्त (एचएल) / आई.ए. वस्त्र अनुसंधान संघों या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से योजना के तहत आपूर्ति किए गए यार्न की गुणवत्ता रैंडमली ढंग से जांच करेगा। गुणवत्ता की जांच रैंडमली ढंग से नमूने एकत्र करके की जाएगी और स्थिति के आधार पर विभिन्न मापदंडों में से परीक्षण के लिए कुछ मापदंडों का चयन किया जा सकता है जैसे सिंगल यार्न स्ट्रेंथ, ली स्ट्रेंथ, सीएसपी, मॉइस्चर रीगेन, हेयरनेस, फ्रिक्शन, एब्रेशन, ट्विस्ट मेजरमेंट, यू%, काउंट, यार्न इलॉन्गेशन आदि।

14. **उल्लंघन और इसके परिणाम:**

लाभार्थियों द्वारा पहली बार लाभ के दुरुपयोग के मामले में, विकास आयुक्त (एचएल) कार्यालय 10% ब्याज के साथ लाभ राशि वसूल करने के लिए प्राधिकारी होगा। दूसरे दुरूपयोग की दशा में वसूली के अतिरिक्त एक वर्ष तक आपूर्ति प्राप्त करने से वंचित किया जायेगा। तीसरे दुरुपयोग पर, वसूली और आजीवन प्रतिबंध के अलावा, वह आईपीसी और अन्य आपराधिक कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

15. **निगरानी:**

प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी, आयुक्त/निदेशक हथकरघा और संबंधित राज्य के वस्त्र के आईए और योजना को लागू करने वाले संबंधित राज्य हथकरघा निगम के एमडी योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे और योजना की प्रगति रिपोर्ट देते हुए विकास आयुक्त (एचएल) के कार्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विकास आयुक्त (एचएल) के कार्यालय द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी। विकास आयुक्त (एचएल) योजना की समीक्षा के लिए हर तिमाही में सचिव (वस्त्र) को योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर टिप्पणियों के साथ एक व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

16. **शिकायत निवारण:**

आई.ए. के संबंधित प्राधिकारी आरएमएसएस से संबंधित शिकायत निवारण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

17. **प्रचार:**

आईए व्यापक रूप से आरएमएसएस केंद्रित योजना का प्रचार स्थानीय भाषाओं में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पैम्फलेट और हैंड बिल, पोस्टर, वॉल पेंटिंग और बायर्स-सेलर्स मीट आदि के मुद्रण और वितरण के माध्यम से करें। इस उद्देश्य के लिए I.A., को विकास आयुक्त (HL) से वार्षिक मीडिया योजना को मंजूरी मिलेगी।

अनुलग्नक – 1

आरएमएसएस के तहत यार्न की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को व्यक्तिगत बुनकर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचन पत्र का प्रारूप

अंडरटेकिंग

बुनकर का नाम और पता:

I. मैं एक करघा (करघे) पहचान संख्या (संख्याओं).....वाले हथकरघा/करघे का स्वामित्व रखता हूँ।

ii. मैं हथकरघा कपड़े के उत्पादन में लगा हुआ हूं और कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) से मेरे द्वारा खरीदा गया यार्न मेरे उपभोग के लिए है।

iii. इस योजना के तहत मेरे द्वारा खरीदा गया यार्न किसी अन्य संगठन/बुनकरों को नहीं बेचा जाएगा।

iv. योजना की शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, मैं कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को आपूर्ति किए गए यार्न की वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच अंतर के बराबर राशि और बाजार मूल्य सहित परिवहन की लागत, उपरिव्यय आदि का भुगतान करने का वचन देता हूं (अंडरटेकिंग के क्रियान्वयन से इसके पता लगने की तारीख तक) ।

v. मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मेरे द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी के मामले में मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

बुनकर के हस्ताक्षर

जगह:
तारीख:

अनुलग्नक – 2

आरएमएसएस के तहत यार्न की आपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को विभाग / निगमों / शीर्ष सहकारी समितियों / बुनकर उद्यमियों / हथकरघा उत्पादक कंपनियों / एसएचजी / जेएलजी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अंडरटेकिंग का प्रारूप

अंडरटेकिंग

उपयोगकर्ता एजेंसी का नाम और पता:

करघों की संख्या और उनकी विशिष्ट करघे संख्याएं: .....

I. यह सोसाइटी / एजेंसी हथकरघा कपड़े के उत्पादन में लगी हुई है और कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) से सोसाइटी / निगम / एजेंसी द्वारा खरीदे गए यार्न हमारे उत्पादन केंद्रों में सीमित उपभोग के लिए और/या हमारे साथ सीधे नामांकित हमारे सदस्य सोसाइटियों / बुनकरों को आपूर्ति के लिए है।
ii. इस योजना के तहत हमारे द्वारा खरीदे गए सूत को सोसायटी / एजेंसी में सीधे नामांकित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य संगठन / बुनकरों को नहीं बेचा जाएगा। इस योजना का लाभ सीधे हमारे साथ नामांकित सदस्य सोसायटियों / बुनकरों को दिया जाएगा, जब इस योजना के तहत खरीदे गये यार्न को उन्हें बेचा / आपूर्ति किया जायेगा।
iii. योजना की शर्तों में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, यह सोसायटी / निगम / एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को आपूर्ति किए गए यार्न की वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच अंतर के बराबर राशि और बाजार मूल्य सहित परिवहन की लागत, उपरिव्यय आदि का भुगतान करने का वचन देती है (अंडरटेकिंग के क्रियान्वयन से इसके पता लगने की तारीख तक) ।
iv. हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस सोसायटी / निगम / एजेंसी द्वारा किसी भी धोखाधड़ी के मामले में हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
v. सोसायटी / एजेंसी के साथ काम करने वाले बुनकरों की आधार संख्या, मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या के साथ जनसांख्यिकीय विवरण वाली सूची संलग्न है।

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर	सचिव के हस्ताक्षर
(रबर मुहर के साथ)	(रबर मुहर के साथ)

जगह :
तारीख :

अनुलग्नक – 3

<u>प्रमाण – पत्र</u>

1. हमने आर.एम.एस.एस. के अंतर्गत पात्र एजेंसियों को उनके द्वारा की गई यार्न की आपूर्ति के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के _____अवधि के खातों की जांच की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आपूर्ति किया गया यार्न जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा _____ की अवधि के लिए किया गया है, विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय पत्र संख्या 1/9/2020-21/डीसीएच/पी&एस दिनांक _____ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था।

3. यार्न की आपूर्ति जिस पर सरकार की सहायता का दावा किया जा रहा है, इस _____ अवधि के लिए केवल पात्र लाभार्थियों को ही किया गया है

4. प्रतिपूर्ति की राशि रु._____ (रुपये _____) _____ की अवधि के लिए का दावा पहले नहीं किया गया है।

5. अनुलग्नक 4, अनुलग्नक 5 और अनुलग्नक 6 में दिए गए विवरण के अनुसार _____ की अवधि के लिए दावा विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के पत्र संख्या 1/9/2020-21/डीसीएच/पीएंडएस दिनांक _____ द्वारा जारी निर्धारित दिशानिर्देशों और इस संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के अनुसार किया गया है।

6. प्रतिपूर्ति का यह दावा योजना के अंतर्गत आने वाले यार्न के संबंध में है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा दिशा-निर्देशों में निर्धारित अंडरटेकिंग प्रत्येक लाभार्थी से प्राप्त किया गया है, जिसे यार्न की आपूर्ति _____ अवधि के दौरान की गई है।

8. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था भ्रष्ट आचरण में शामिल है।

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(कार्यान्वयन एजेंसी)

चार्टर्ड एकाउंटेंट
(रबर मुहर के साथ)

अनुलग्नक – 4

…… अवधि के लिए आर.एम.एस.एस. के अंतर्गत आपूर्ति पर प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए विवरण

क्र.सं.	राज्य/डिपो संचालन एजेंसी का नाम	आपूर्ति किए गए यार्न की मात्रा (कि.ग्रा. में)	मिल गेट कीमतों पर यार्न की लागत (रुपये में)	परिवहन की वास्तविक लागत (रुपये में)।
	कुल			

दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि : रु.

(..... % मूल्य के यार्न की आपूर्ति)

पहले से दावा की गई कम अग्रिम राशि : रु.

बकाया राशि : रु.

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
कार्यान्वयन एजेंसी
(रबर मुहर के साथ)

चार्टर्ड एकाउंटेंट
(रबर मुहर के साथ)

अनुबंध- 5

यार्न सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्यवार दावे का सारांश

1. दावे की अवधि:
2. यार्न आपूर्ति और सब्सिडी का सारांश:

क्र. सं.	राज्य का नाम	आपूर्ति किए गए धागे की मात्रा (कि.ग्रा.में)	सब्सिडी से पूर्व सूत का मूल्य (रुपये में)	@ 15% सब्सिडी से पहले यार्न मूल्य पर यार्न सब्सिडी (रुपये में)	यार्न सब्सिडी के लिए कुल दावा (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
	कुल:				

3. फंड की स्थिति:

	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि	
(ii)	कम: पहले से ही दावा की गई अग्रिम राशि	
(iii)	बकाया राशि (i – ii)	

आईए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउंटेंट
(रबर स्टैम्प के साथ)

(नाम और पदनाम)
स्थान :
दिनांक :

अनुबंध -6

आरएमएसएस के तहत हथकरघा बुनकरों को दी गई सूत सब्सिडी के प्रतिपूर्ति के दावों का विवरण

1. दावे की अवधि:
2. यार्न आपूर्ति और सब्सिडी का विवरण:

क्र. सं.	राज्य का नाम	डिपो संचालन एजेंसी का नाम	आपूर्ति की तिथि	यार्न की विविधता और कांउट	तिमाही के दौरान आपूर्ति किए गए सूत (कि.ग्रा. में)	सूत सब्सिडी से पहले सूत का मूल्य (रुपये में)	@ 15% सब्सिडी से पहले यार्न मूल्य पर यार्न सब्सिडी (रुपये में)	यार्न सब्सिडी के लिए कुल दावे (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	कुल :							

3. फंड की स्थिति:

	विवरण	**राशि (रूपयों में)**
(i)	दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि	
(ii)	कम: पहले से ही दावा की गई अग्रिम राशि	
(iii)	बकाया राशि (i – ii)	

आईए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम)
स्थान :
दिनांक :

चार्टर्ड एकाउंटेंट
(रबर स्टैम्प के साथ)

<u>अनुलग्नक 7</u>

आरएमएसएस के तहत डिपो संचालन एजेंसी से आईए को डिपो संचालन के दावे की प्रतिपूर्ति के लिए विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	तिमाही की शुरुआत में स्टॉक ओपनिंग		आरएमएसएस के तहत प्राप्त यार्न		मिल का नाम	तिमाही के दौरान कुल बिक्री यार्न		क्लोजिंग स्टॉक		*तिमाही के दौरान बेचे गए यार्न का @2% प्रतिपूर्ति
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
कुल											

*डिपो परिचालन व्यय यार्न के मूल्य का 2% है सीमित आपूर्ति 15,000 रुपये तक प्रति माह ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त यार्न की आपूर्ति वास्तवविक रूप से की गई है और डिपो संचालन के लिए प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा किया गया है।

डिपो संचालन के लिए दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि: रु.

कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर

(रबर स्टैम्प के साथ डिपो संचालन एजेंसी का नाम)

चार्टर्ड एकाउंटेंट

अनुलग्नक 8

आरएमएसएस के तहत आईए द्वारा आपूर्ति किए गए यार्न का डिपो ऑपरेटिंग एजेंसी-वार विवरण दिखाने वाला विवरण

डिपो संचालन एजेंसी का नाम और पता
(प्रत्येक एजेंसी के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाए):……..

क्र. सं.	अवधि/दिनांक	प्राप्त सूत की आपूर्ति		मिल का नाम और स्थान जहाँ से सूत की आपूर्ति की जाती है	यार्न आपूर्ति का गंतव्य	एलआर नं./दिनांक	परिवहन कंपनी का नाम	भुगतान की गई माल ढुलाई की राशि (रुपये में)
		मात्रा (किग्रा)	मूल्य (रू.)					
कुल								

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त यार्न की आपूर्ति वास्तविक रूप से कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) द्वारा की गई है और इस एजेंसी द्वारा उपरोक्तानुसार माल ढुलाई की राशि का भुगतान किया गया है।

कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर